न्यायालय में श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/2904

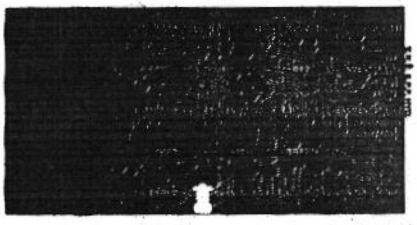

1. सीता वर्मा पिता सोमेश्वर कहार, उम्र 45 वर्ष
2. गीता वर्मा पिता सोमेश्वर कहार, उम्र 55 वर्ष

दोनो निवासी वार्ड नं0 02, पटौरा टोला अनूपपुर, जिला– अनूपपुर म0प्र0

.......निगरानीकर्ता

विरूद्ध

कौशल प्रसाद राठौर पिता रामसेवक राठौर, आयु 30 वर्ष, निवासी ग्राम सामतपुर, तह0 व जिला अनूपपुर म0प्र0

........गैरनिगरानीकर्ता

राजस्व निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध तहसीलदार अनूपपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं0 174/अ–3/16–17 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध

महोदय,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:–

1. यह कि भूमि ग्राम परसवार, पटवारी हल्का परसवार की आराजी ख0नं0 241/5/क/2/क रकवा 1.376 हे0 भूमि का भूमि स्वामी गैरनिगरानीकर्ता है, उसके द्वारा उक्त भूमि का नक्शा तरमीम किये जाने बावत् आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा आवेदन पत्र पंजीबद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर0आई0 के माध्यम से प्रस्तावित नक्शा तरमीम कार्यवाही का प्रस्ताव अहूत किये जाने बावत् आदेश जारी किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/2904 सीता विरूद्ध कौशल प्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक व अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 174/अ-3/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 14-07-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 31.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	